

### आदेश

प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहन किए जा रहे माल के संबंध में व्यवधान रहित मूवमेंट ( Hassle Free Movement ) तथा ऐसे माल के संबंध में हो रही कर अपवंचना की रोकथाम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा 21 की उपधारा (7-A) तथा 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 40 के उपनियम (17) के अधीन तथा उनमें विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस हेतु शासन द्वारा 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 21 की उपधारा (4) में नोटिफाइड निम्नानुसार वर्णित माल के उपर्युक्तानुसार परिवहन के संबंध में "ई-संचरण " की व्यवस्था लागू करते हुए निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

- 1- उक्त उपधाराओं के प्रयोजनार्थ प्रविष्टियाँ वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट <http://comtaxup.nic.in> पर की जायेंगी।
- 2- "विशिष्ट संचरण नम्बर" प्रश्नगत माल के वाहन सहित प्रदेश से प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश से प्रदेश के बाहर परिवहन आरम्भ करने से पहले प्रश्नगत विक्रेता व्यापारी द्वारा जेनरेट किया जाएगा तथा इस नम्बर का sms , जो सिस्टम से प्राप्त होगा , उसे वाहन चालक/ट्रांसपोर्टर को फॉरवर्ड ( forward ) किया जाएगा। वाहन चालक द्वारा इस sms को प्रदेश में माल के मूवमेंट के आरम्भ होने से लेकर माल के गन्तव्य तक अपने साथ रखा जाएगा।
- 3- सर्वप्रथम व्यापारी को उक्त विभागीय वेबसाइट पर अपना मोबाइल नम्बर को रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए उक्त विभागीय वेबसाइट पर अपना टिन नम्बर , नाम व पता , ई-मेल आई डी तथा इस व्यवस्था हेतु चयनित निम्नलिखित उन व्यापारिक वस्तुओं में से जिनके लिए वह प्रदत्त विभागीय प्रान्तीय पंजीयन द्वारा अधिकृत है , का उल्लेख इनके सम्मुख वर्णित कोड सहित करना होगा। ऐसा करते ही मोबाइल नम्बर रजिस्टर हो जाएगा। यह कार्य केवल एक बार ही किया जाएगा।
- 4- वेबसाइट पर रजिस्टर करने के पश्चात प्रिंट आउट को हस्ताक्षर करके संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्य भी सिर्फ एक बार किया जाएगा।
- 5- प्रश्नगत व्यापारी द्वारा उक्त प्रिंट आउट के प्रस्तुत करने के अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर में अनुमोदन किया जाएगा जिसके बाद व्यापारी के ई-मेल आई डी पर तथा मोबाइल नम्बर पर तत्काल पासवर्ड sms हो जाएगा। पासवर्ड गोपनीय रहेगा , अतः आवश्यक है कि व्यापारी अपना ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नम्बर अंकित करेंगे। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यह प्रक्रिया केवल एक बार ही की जाएगी।
- 6- प्रत्येक टिन के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पृथक-पृथक रखना आवश्यक है अर्थात् एक मोबाइल नम्बर तथा एक ई-मेल आई डी एक से अधिक टिन नम्बर के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी।

- 7- यदि कोई व्यापारी पूर्व में ही फार्म-38 से आयात के संबंध में "ई-संचरण" की सुविधा का उपभोग कर रहा है तो उसे फार्म-XXI के संबंध में लागू इस "ई-संचरण" की सुविधा हेतु पुनः अपने मोबाइल को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही इस हेतु उसे नया password भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 8- उक्त के पश्चात व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किए गए ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किए गए पासवर्ड के माध्यम से लागू आन किया जायेगा। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा "विशिष्ट संचरण नम्बर" जैनरेट करने हेतु उपलब्ध विवरण एन्ट्री स्क्रीन पर भरा जाएगा। व्यापारी द्वारा विक्रेता से संबंधित सूचना अंकित करने के पश्चात डाटा को save किया जा सकता है। save करने पर व्यापारी को टोकन नम्बर प्राप्त हो जाएगा।
- 9- प्रदेश के पंजीकृत क्रेताव्यापारी द्वारा इस टोकन नम्बर की सहायता से शेष विवरण को भरा जाएगा। समस्त विवरण को भरने के उपरान्त "विशिष्ट संचरण नम्बर" जैनरेट हो जाएगा।
- 10- आन लाइन फार्म-21 में व्यापारी द्वारा निम्न विवरणों का भरना अनिवार्य होगा :-

- (1) अपना टिन नम्बर
- (2) वस्तु का नाम
- (3) परिमाण
- (4) वजन
- (5) वस्तु का मूल्य
- (6) टैक्स इन्वाइस / सेल इन्वाइस / चालान नम्बर व दिनांक
- (7) गन्तव्य स्थान
- (8) क्रेता / कन्साइनी का नाम व पता
- (9) क्रेता / कन्साइनी का टिन नम्बर (यदि क्रेता अपंजीकृत है तो उसके टिन के समक्ष 09000000000 की प्रविष्टि की जाएगी)
- (10) वाहन संख्या
- (11) जहाँ से माल लादा गया है, उस स्थान का नाम
- (12) माल के मूवमेंट प्रारम्भ होने का दिनांक तथा समय

11- आन लाइन फार्म-21 की उक्त प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर "विशिष्ट संचरण नम्बर" sms हो जाएगा। इस विशिष्ट संचरण नम्बर को व्यापारी प्रश्नगत माल के आयात के लिए ट्रांसपोर्टर/ ड्राइवर को फारवर्ड करेगा।

12- "विशिष्ट संचरण नम्बर" की उपर्युक्त व्यवस्था अभी केवल निम्न वस्तुओं के लिए लागू की जा रही है -

| क्र०सं० | वस्तु का नाम                                    | कोड संख्या |
|---------|---|------------|
| 1       | मैथा आयल / डीमैथॉलाइज्ड आयल ( डी0एम0ओ0) / मैथॉल | 002        |
| 2       | सुपाड़ी   | 003        |
| 3       | आयरन एण्ड स्टील                                 | 005        |
| 4       | सीमेंट  | 007        |

13- उपर्युक्त वस्तुओं के संबंध में भी व्यवस्था केवल 50 कि०ग्रा० भार के 300 बोरी सीमेंट, 09 टन आयरन एण्ड स्टील तथा सुपारी के 70 कि०ग्रा० भार वाले 50 बैग तथा इससे अधिक माल के एक व्यापारी /

- उत्पादक द्वारा किए जा रहे परिवहन पर ही लागू होगी। इस मात्रा से कम वजन के उक्त माल के परिवहन हेतु "विशिष्ट संचरण नम्बर" की यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। मैथा आयल / डीमैथॉलाइज्ड आयल ( डी0एम0ओ0) / मैथॉल के संबंध में ₹0 50,000/- से अधिक मूल्य की इन वस्तुओं के परिवहन के लिए ही "विशिष्ट संचरण नम्बर" की सुविधा लागू होगी।
- 14- ड्राइवर को इस "विशिष्ट संचरण नम्बर" को sms के रूप में माल के परिवहन के समय, माल के गन्तव्य पर पहुंचने तक साथ लेकर चलना होगा तथा इसे जाँच के समय जाँच अधिकारी को दिखाना होगा।
  - 15- यदि माल के परिवहन के दौरान विशेष परिस्थितियों में वाहन परिवर्तित होता है तो इसमें आन लाइन परिवर्तन किया जा सकता है। यह कार्य संबंधित व्यापारी द्वारा ही किया जा सकेगा।
  - 16- यदि परिवहित माल के गन्तव्य एक से अधिक हैं तो प्रत्येक गन्तव्य के लिए पृथक-पृथक "विशिष्ट संचरण नम्बर" उक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा।
  - 17- प्रत्येक प्रान्तीय क्रेता के लिए प्रान्त के विक्रेता द्वारा एक "विशिष्ट संचरण नम्बर" जेनरेट किया जाएगा अर्थात यदि प्रान्तीय क्रेता एक से अधिक हैं तो ऐसे सभी क्रेताओं के लिए उतने ही पृथक-पृथक "विशिष्ट संचरण नम्बर" ऐसे विक्रेता को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट करने होंगे।
  - 18- यदि प्रान्तीय क्रेता के एक ही तिथि में एक से अधिक बिल हैं तो उनके लिए एक ही "विशिष्ट संचरण नम्बर" आवश्यक होगा तथा इनकी प्रविष्टियाँ टैक्स इन्वाइस / सेल इन्वाइस / चालान नम्बर व दिनांक के आगे की जायेंगी।
  - 19- यदि एक से अधिक विक्रेता के बिलों के माल का आयात किया जा रहा है तो प्रत्येक विक्रेता के संबंध में पृथक-पृथक विशिष्ट संचरण नम्बर उक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा।
  - 20- उपर्युक्त 04 वस्तुओं के संबंध में उक्तानुसार माल के परिवहन के संबंध में "विशिष्ट संचरण नम्बर" की व्यवस्था लागू की गयी है, ऐसी वस्तुओं के लिए इस प्रक्रिया के अनुसार ही माल का प्रदेश में परिवहन करना अनिवार्य होगा उनके लिए विभाग से डाउनलोडिड फार्म XXI अथवा छपा हुआ फार्म XXI प्राप्त करने का विकल्प नहीं होगा।
  - 21- इस "विशिष्ट संचरण नम्बर" का जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतीकरण, वाहन में लदे माल के संबंध में प्रपत्रों का प्रस्तुतीकरण समझा जाएगा। जाँच अधिकारी पंजीकृत मोबाइल नम्बर से इस "विशिष्ट संचरण नम्बर" का सत्यापन 9212357123 पर sms के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
  - 22- यदि इस अधिनियम की धारा -45 तथा धारा-48 में अधिकृत अधिकारी द्वारा अन्यथा कारणों से, इनका उल्लेख करते हुए वाहन को डिटें किया जाएगा, तब वाहन में लदे माल के संबंध में सभी प्रपत्र अर्थात टैक्स इन्वाइस / सेल इन्वाइस / चालान / बिल्टी आदि संबंधित अधिकारी को मूल रूप में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे, जिनके संबंध में जाँच अधिकारी द्वारा आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही निष्पादित की जाएगी।
- उक्त आदेश दिनांक 28-10-2013 से प्रभावी होंगे। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

MU 4.10.2013  
 ( मृत्युंजय कुमार नारायण )  
 कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

## प्र०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, 30 प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, 30 प्र० शासन, लखनऊ ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ( दो प्रतियों में )
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30 प्र० ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, 30 प्र० ।
- (7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30 प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- (8) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि० अनु० शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि० अनु० शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क० नि० / वि० अनु० शा०/स० द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
- (14) प्रबन्धक, इंसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए० जी० आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद ।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमि०/ असिस्टेंट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद ।
- (19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमि०/ असि० कमि० (30 न्या० कार्य०) लखनऊ/ इलाहाबाद ।
- (20) मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में ।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, 30 प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) 30 प्र० ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30 प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, 30 प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29 बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ ।
- (29) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (33) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल परिया गाजियाबाद ।
- (34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर, लखनऊ ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) के माध्यम से ।
- (36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (37) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (38) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30 प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस० एस० कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर ।

- (39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुंजगली, चौक, वाराणसी ।
- (45) श्री पी0एस0 जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलवाल मण्डी सहरनपुर ।
- (47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- (51) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा 30प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, 30प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूं ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ( उत्तर प्रदेश )
- (75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर  
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश